

DCS 0767

संख्या: १७१ / नौ - ९ - २०२० - १२४ / २०

112

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- १- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- २- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- ३- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ०प्र०।
- ४- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत, उ०प्र०।

नगर विकास अनुभाग-९

लखनऊ : दिनांक १० जून, २०२०

विषय: प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर/निराश्रित परिवारों को आकस्मिकता की स्थिति/बीमारी की दशा में आर्थिक सहायता प्रदान करने एवं मृत्यु होने पर अन्त्येष्टि/दाह संस्कार हेतु राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना।

महोदय,

प्रदेश सरकार का यह संकल्प है कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निवासरत आर्थिक रूप से कमजोर/निराश्रित परिवारों को आकस्मिकता/आर्थिक रूप से विपन्नता के कारण भुखमरी का सामना न करना पड़े, उन्हें बीमारी की स्थिति में इलाज कराने हेतु आर्थिक तंगी न हो एवं किन्हीं परिस्थितियों में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में आर्थिक विपन्नता के कारण उसके दाह संस्कार/अन्त्येष्टि न हो पाने की स्थिति न उत्पन्न हो। इसके लिये प्रदेश सरकार ने राज्य वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग निम्न परिस्थितियों में करने का निर्णय लिया है :-

- १- राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में अवमुक्त धनराशि का सर्वप्रथम उपयोग निकाय के अधिष्ठान मद में सृजित होने वाली देनदारियों के भुगतान के सापेक्ष किया जाना चाहिये। यथा निकाय में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन/भत्ते/पेंशन आदि का भुगतान किये जाने हेतु उक्त धनराशि का उपयोग किया जाना चाहिये जिससे किसी भी प्रकार के कार्मिक जो निकाय में कार्यरत अथवा निकाय हेतु कार्य कर रहे हैं, उनके वेतन/मानदेय भुगतान विलम्बित न हो और भुगतान नियमित रूप से सुनिश्चित हो।

- 2- आर्थिक रूप से विपन्न परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर अन्त्येष्टि/दाह संस्कार हेतु अनुमन्य सहायता:- प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निवासरत आर्थिक रूप से विपन्न परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में उसके दाह संस्कार के लिये उक्त परिवार के सक्षम न होने की दशा में ऐसे परिवार के सदस्य को रूपये 5000 की अधिकतम सीमा तक धनराशि अन्त्येष्टि/दाह संस्कार हेतु स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
- 3- एक-बारीय चिकित्सीय सुविधा/आर्थिक सहायता:- नगरीय निकाय क्षेत्रों में निवासरत परिवारों में आर्थिक रूप से कमजोर/गरीब परिवारों के सदस्यों के अपनी बीमारी का इलाज कराने में सक्षम न होने की दशा में चिकित्सीय सुविधा प्रदान किये जाने के दृष्टिगत वर्तमान में क्रियान्वित आयुष्मान भारत एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा से उन्हें आच्छादित कर सहायता प्रदान किये जाने हेतु प्रयास किया जाना चाहिये। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश कोई ऐसा परिवार जो आर्थिक रूप से विपन्न है और उपरोक्त योजना यथा आयुष्मान भारत एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत लाभार्थी कार्ड से किसी कारणवश वंचित है, तो उसे तात्कालिक रूप से चिकित्सा हेतु संबंधित निकाय क्षेत्र के उपजिलाधिकारी द्वारा उपरोक्त के पात्र होने की दशा में इस विषयगत एक-बारीय रूप से 2000/- रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु निकाय को अवगत कराया जायेगा एवं उपरोक्त अनुमन्य सहायता एकबार हेतु उक्त परिवार के लिये तदनुसार राज्य वित्त की धनराशि से अनुमन्य होगी। उपरोक्त सहायता राशि उपलब्ध कराने के साथ-साथ परिवार को आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के अन्तर्गत कार्ड बनवाने की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत संबंधित विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- 4- नगरीय क्षेत्रों में निवासरत किसी परिवार को आर्थिक कठिनाई के कारण उत्पन्न विपन्नता के कारण भुखमरी का शिकार न होना पड़े, इस हेतु कमजोर/गरीब परिवारों को उक्त आपातकालीन परिस्थितियों में तात्कालिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु संबंधित निकाय क्षेत्र के उप जिलाधिकारी द्वारा चयनित किये गये ऐसे पात्र परिवार को निकाय द्वारा

रुपये 1000/- की सहायता राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से प्रदान की जायेगी। उपरोक्त कार्यवाही के साथ-साथ संबंधित व्यक्ति व परिवार की पात्रता के अनुसार राशन कार्ड न होने की दशा में राशन कार्ड बनवाने की कार्यवाही खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ताकि आने वाले दिनों में उनके भरण-पोषण के लिये नियमित रूप से राशन प्राप्त हो सके।

5— उपर्युक्त प्रस्तर-2, 3 व 4 के अन्तर्गत व्यय किये जाने हेतु धनराशि उपरिवर्णित प्राविधानों के अनुरूप अनुमन्य होगी तथापि इसमें निम्न प्रतिबन्ध होंगे:-

- (i) निकाय राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत कुल उपलब्ध धनराशि से कार्मिकों के अधिष्ठान यथा निकाय में कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन/भत्ते/पेंशन/मानदेय आदि के भुगतान के पश्चात् अवशेष धनराशि से अनुमन्य कार्यों में से 03 प्रतिशत तक की अधिकतम सीमा तक ही उक्त प्रस्तर-2, 3 एवं 4 में वर्णित मदों में किया जा सकेगा। प्रस्तर- 2 में वर्णित मृत्यु हो जाने की दशा में दी जाने वाली सहायता के दृष्टिगत निकाय सूचना प्राप्त होने पर आर्थिक सहायता प्रदान कर सकेगे, परन्तु प्रस्तर-3 व 4 पर संबंधित उपजिलाधिकारी द्वारा लाभार्थी परिवारों के नाम/सूची विषयक निर्देश/संस्तुति प्राप्त होने के क्रम में ही कार्यवाही की जायेगी।
- (ii) नगरीय निकायों में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि उपरोक्त प्रस्तर-2, 3 व 4 में वर्णित कार्यों हेतु उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित निकाय द्वारा, उक्त की सूचना संबंधित जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे संबंधित जिलाधिकारी टी.आर. 27 से धनराशि आहरित कर सहायता राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था करायेंगे एवं उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति मुख्यमंत्री राहत कोष से किये जाने हेतु आग्रिम कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी।

6— रिपोर्टिंग —

नागर निकाय के अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त द्वारा शासनादेश में वर्णित श्रेणी में उपलब्ध करायी गयी आर्थिक सहायता राशि का विवरण लाभार्थी के नाम व पूर्ण पते

(मोबाइल नम्बर सहित) निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय को इलेक्ट्रॉनिकली उपलब्ध करायेंगे। निदेशक, स्थानीय निकाय इस रिपोर्टिंग के लिये एक प्रोफार्मा तैयार कर सभी नागर निकायों को अतिशीघ्र उपलब्ध करायेंगे। निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा जिलों में टी.आर.-27 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी धनराशि के मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रतिपूर्ति का अनुश्रवण करते हुए शासन को रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी।

इस संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-1605 / नौ-9-10-76ज / 10, दिनांक-12.07.2010 एवं तदकम में निर्गत शासनादेश संख्या-2572 / नौ-9-2010-76ज / 2010, दिनांक-23.11.2010 की व्यवस्थाएं उपर्युक्त सीमा तक संशोधित की जा रही हैं।

भवद्वीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।
- 2— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व/राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- 3— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, समाज कल्याण, नियोजन, खाद्य एवं रसद विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 5— स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र०।
- 6— गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार शर्मा)
विशेष सचिव।

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

निदेशक
स्थानीय निकाय उ०प्र०
इन्हिरा भवन आठवां तला,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ

दिनांक 23 नवम्बर, 2010

विषय:- तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का संक्षण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8/1015-शा०/152(11)/तृ०रा०वि०आ०/2010-11 दिनांक 01.06.2010, के रूप में शासनादेश संख्या-1605/नौ-9-10-76ज/2010 दिनांक 12.7.2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से यह निर्देश जारी किये गये हैं कि निकायों को आवृट्ट धनराशि का उनके द्वारा 1/12 भाग प्रतिमाह आहरण के पश्चात् आहरित धनराशि से कर्मियों के वेतन, पेंशन भत्ते और पेंशन आदि के भुगतान के बाद अवशेष बचती है तो अवशेष धनराशि को निकायों के बैंक में खुले उनके खाते में रखा जायेगा साथ ही साथ उक्त अवशेष धनराशि से निकायों में विकास कार्य ही कराया जायेगा ।

2- उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 12.7.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कर्मियों के वेतन, पेंशन भत्ते और पेंशन आदि के भुगतान के साथ ही साथ उनके उक्त मद के एरियर का भुगतान भी नियमानुसार कराया जायेगा ।

तदनुसार समस्त नगर निकायों को अपने स्तर से अग्रेतर कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करे ।

भवदीय,

ह०/-

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव ।

स्थानीय निकाय निदेशालय ,उ०प्र०
इन्हिरा भवन आठवां तला लखनऊ ।

संख्या-8/३१००/152(11)/तृ०रा०वि०रा०आ०/2010-11

दिनांक २५ नवम्बर 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, नगर विकास विभाग,(अनुभाग-9) लखनऊ ।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- 3- विशेष सचिव, वित्त संसाधन अनुभाग (राज्य वित्त प्रकोष्ठ), उ०प्र० शासन ।
- 4- बजट अधिकारी, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 उ०प्र० शासन, लखनऊ ।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 6- समस्त महापौर, नगर निगम/समस्त अध्यक्ष नगर पालिका परिषद/नगर पंचायते उ०प्र० ।
- 7- समस्त नगर आयुक्त नगर निगम, उ०प्र० ।
- 8- समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायते, उ०प्र० ।
- 9- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

१०/११/२५/२०१०
(कु० रेखा गुप्ता)
निदेशक ।